भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2057

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

करौली-धौलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

2057. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) करौली और धौलपुर जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, निर्मित और अधिभोगित आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में निर्माणाधीन आवासों की संख्या कितनी है और यदि इनके निर्माण में कोई विलंब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का उच्च गरीबी दर वाले जिलों के लिए अतिरिक्त आवंटन या विशेष पैकेज प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। यह योजना चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इस योजना की अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 31.03.2022 तक थी।

इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में

कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है।

पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के दिशानिर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/OperationalGuidelines-of-PMAY-U-2.pdf** पर देखे जा सकते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, अब तक मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.43 लाख आवासों सहित कुल 122.06 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिनमें से 24.11.2025 तक देश भर में 113.85 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, 96.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं और 93.39 लाख आवासों में पात्र लाभार्थी रह रहे हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत करौली में कुल 5,997 आवास और धौलपुर में 5,303 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से क्रमशः 3,741 और 5,222 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुल स्वीकृत आवासों में से, अब तक करौली जिले में कुल 2,213 आवास और धौलपुर जिले में 4,150 आवास पूरे हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

देश भर के पात्र नागरिक पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल **https://pmay-urban.gov.in** पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी मांग को सभी विवरणों के साथ दर्ज कर सकते हैं। योजना के दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थी का सत्यापन और चयन/जांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा की जाती है।